(5)

(भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख............2016

अधिसूचना

का.नि.आ..........–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4, तारीख 11 दिसम्बर 2005 में का0नि0आ0 128, तारीख 30 नवम्बर 2005 द्वारा प्रकाशित आर्डनेंस कोर (असैनिक अधिकारी– भंडार तथा प्रशासन) भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना के निम्नतर विरचना में आर्डनेंस आफिसर सिविल (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय सेना आर्डनेंस कोर, आर्डनेस ऑफिसर सिविल (प्रशासन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और पे मेट्रिक्स में लेवल –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके **पे मेट्रिक्स में लेवल** वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .–** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(6)

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	**पे मेट्रिक्स में लेवल**	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आर्डनेंस ऑफिसर सिविल (प्रशासन)	*49 (2016)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 7 (रू0 44,900– 1,42,400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा ।
(10)	(11)
100% जोकि, प्रशासनिक प्रभाग द्वारा निर्धारित संस्थान से संबंधित क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण 2--4 सप्ताह का सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनसे द्वार की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। टिप्पण: कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विद्यमान पदधारियों के लिए उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	प्रोन्नति.– पे मेट्रिक्स में लेवल 6 (रू 35.400 – 1,12,400) में ऐसा कार्यालय अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पाँच वर्ष सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. महानिदेशक आर्डनेंस सेवा – अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक (वस्त्र, आवश्यकताएं और प्रशासन) – सदस्य 3. मास्टर जनरल आर्डनेंस शाखा से नामित, जो लेफिटनेंट कर्नल /सिविलनयन स्टाफ ऑफिसर की रैंक से कम नहीं हो – सदस्य	लागू नहीं होता।

(8)

फा. सं. – ए/24824/आर आर/ओओसी(ए)/ओ एस–8डी

(दलपत सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रकाशित :

प्रमाणीकरण

(टी सुरेश कुमार)
उपनिदेशक
एमजीओ/आयुध सेवा (कार्मिक)